न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 52/21 GCMS NO 2021/76

1. शरीफ खान
2. मुकीन अहमद
3. शकीन पिसरान रसीद खां जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रसीद उर्फ अब्दु रसीद खान पुत्र खेराती जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. श्रीमती माफिया पत्नि आरिफ पुत्री रसीद खां जाति मुसलमान निवासी रज्जाक नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कार्यालय हिण्डौन सिटी जिला करौली
4. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 26/19 निर्णय दिनांक 27.6.19 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री ईश्वर सोनी

दिनांक 28.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.6.19 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौन सिटी मे एक दावा बाबत घोषित किये जाने प्रभावहीन व शून्य बयनामा दिनांक 15.9.17 श्री रसीद बहक श्रीमती माफिया इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के प्रतिवादी संख्या 1 बालिद है एवं प्रतिवादी संख्या 2 सहोदर बहन है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुर्जग स्व0 खेराती पुत्री हंसी के संयुक्त स्वामित्व व कब्जे काश्त की कृषि आराजी साबिक ख0न0 91 रकबा 5 विस्वा , 92 रकबा 11 विस्वा, 106 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 107 रकबा 2 विस्वा, 108 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 111 रकबा 5 विस्वा, 116 रकबा 15 विस्वा, 125 रकबा 10 विस्वा, 308 रकबा 2 विस्वा, 355 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, 371 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 389 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा, 396 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, 420 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 10 विस्वा ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन [illegible] है। जिसके बाद सेटलमेंट नवीन ख0न0 665 रकबा 0.12 है0, 679 रकबा 0.28 है0, 666 रकबा 0.16 है0, 673 रकबा 0.28 है0, 684 रकबा 0.30 है0, 289 रकबा 0.16 है0, 664 रकबा 0.15 है0, 281 रकबा [illegible] है0, 282

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:40 IST
Reason: Self Attested

रकबा 0.33 है0, 283 रकबा 0.16 है0, 285 रकबा 0.04 है0, 286 रकबा 0.27 है0, 292 रकबा 0.24 है0, 311 रकबा 0.16 है0 , 735 रकबा 0.23 है0, 743 रकबा 0.54 है0, 697 रकबा 0.33 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 3.77 है0 कायम किये है। आराजी मुतजिका मद न0 2 वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 को पुश्तैनी रूप से अपने वालिद खेराती पुत्र हंसी से प्राप्त हुई है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/10 दर्ज राजस्व रिकार्ड रहा है। वादीगण एवं वादीगण के बाबा खेराती पुत्र हंसी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग की सरकारी भूमि हाल ख0न0 215 रकबा 0.32 है0, 216 रकबा 0.27 है0, स्थित ग्राम कुतकपुर को अर्सा करीब 50 साल पूर्व अपने पुत्र रज्जाक एवं कमरूद्दीन के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाया था। जिसमे से रज्जाक व कमरूद्दीन द्वारा भाईवट मे वादीगण की मॉ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि अमीना के हक मे ख0न0 215 मे से 21 ऐयर एवं ख0न0 216 मे से 22 ऐयर भूमि वगैर किसी प्रतिफल के रेवेंन्यू कागजात मे अन्तरित कर कब्जे मे दी गई जिस पर भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण के सहोदर भाई सलीम,रहीस,शाहिद काबिज काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व अन्य बहिने सायदा,नजमा का पूर्ण शानोशौकत के साथ उनके हिस्से की समस्त जायदाद मुताबिक स्वधर्मीय रिती रिवाज व परम्पराओ के अनुसार निकाह के समय उन्हे उपहार मे प्रदान कर विदा कर दिया है और दिनांक 1 जनवरी 2004 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एवं अन्य सहोदर भाई सलीम,रहीस,शाहिद के बीच पुश्तैनी कृषि भूमि मुतजिका मद न0 2 व 3 वाद पत्र जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व उनकी पत्नि व वादीगण की मॉ अमीना के नाम राजस्व रिकार्ड मे चली आ रही थी, का बाहमी बंटवारा मौजूद गवाहान की मौजूदगी मे आपस मे मिलकर किया गया। जिसमे वादीगण के हिस्से मे भूमि ख0न0 735 रकबा 0.23 है0 दी जाकर गवाहान की मौजूदगी मे संभलाई गई। अन्य सहोदर भाई सलीम,रहीस,शाहिद को सनेट गांव की और मौजूद कृषि भूमि मुतजिका मद न0 3 वाद पत्र हिस्से व बंटवारे मे देकर कब्जे मे संभलाई गई। यानि वादीगण भूमि ख0न0 735 रकबा 0.23 है0 पर दिनांक 1 जनवरी 2004 से काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसमे प्रतिवादीगण या अन्य किसी का कोई संबंध वास्ता नही है। उक्त भूमि ख0न0 735 को कब्जे लेने के पश्चात वादीगण द्वारा उक्त आराजी मे सडकी की और एक आरा मशीन स्थापित कर उसे चलाया गया। जो वर्तमान मे बंद पडी है। उक्त आरा मशीन के चरपटवा मे दो पुख्ता दुकान बनाकर उक्त दुकान मे से एक दुकान वादी न0 1 की पत्नि शबनम परचूने की दुकानदारी और दुसरी दुकान मे वादी न0 3 की पत्नि शाहिदा परचूने बीडी सिगरेट की दुकानदारी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। शेष दुकान व आरा मशीन के पीदे की आराजी को वादी द्वारा फसल काश्त कर उपयोग मे लिया जा रहा है। वादीगण एवं उनके सहोदर भाई सलीम,रहीस,शाहिद के बीच दिनांक 27.6.17 को रिहायशी बाखर मे पत्थर गाढने की बात को लेकर विवाद हो गया। जिस पर शाहिद व रहीस ने सलीम के साथ मिलकर वादी शरीफ की गंभीर रूप से मारपीट कर दी जिसके संबंध मे वादी द्वारा अस्पताल मे दिये गये पर्चा बयान पर सहोदर भाई शाहिद,रहीस व सलीम के विरूद्ध सदर थाना हिण्डौन मे एफ आई आर न0 333/17 दर्ज किया गया। जिसमे बाद अनुसंधान शाहिद व रहीस के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:40 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

विरूद्व चार्जशीट न्यायालय मे पेश की गई। वादीगण के सहोदर भाई शाहिद,रहीस व सलीम ने वादीगण के वालिद प्रतिवादी संख्या 1 को बहला फुसलाकर पहले तो वादीगण न0 1 व 2 व शकील की बेगम शाहिदा के विरूद्व दिनांक 27.6.17 को घटना बताकर झूठी रिपोर्ट पुलिस थाने मे एफ आई आर संख्या 336/17 दर्ज कराई । जिसमे शाहिद,रहीस,व सलीम ने अनुसंधान अधिकारी से मिलकर वादीगण न0 1 व 2 एवं शकील की बेगम शाहिदा का चालान करव दिया है जो जैरे तनकीयात है। वादीगण के सहोदर भाई सलीम,रहीस,शाहिद द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सथ आपराधिक षडयंत्र रचकर वादीगण को अनुचित रूप से हानि एवं प्रतिवादी संख्या 2 को अनुचित रूप से लाभ प्रदान करने के लिए एवं वादीगण को बंटवारे मे सुपुर्द की गई सम्पति ख0न0 735 से उन्हे बेदखल करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से प्रतिवादी संख्या 2 के हक मे उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन मे नुमाईशी बगैर कब्जे के वगैर प्रतिफल के एक पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 15.9.17 को आराजी भूमि मुतजिका मद न0 2 वाद पत्र पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 376 के पृष्ठ संख्या 24 के कम संख्या 2017ण्3115101532 पर पंजीवद्व करवाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द न0 1135 के पृष्ठ संख्या 131 से 141 पर चस्पा करा दिया गया जो निम्न आधारो पर बमुकावले वादीगण प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। उक्त पंजीकृत विकय पत्र के जरिये विकित किये गये हिस्से की आराजी पर केमा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई कब्जा विधिक रूप से या भौतिक रूप से हस्तान्तरित नही किया है। कब्जे के अभाव मे हस्तान्तरण प्रभावशून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 आपस मे पिता पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 गांव कुतकपुर मे एवं प्रतिवादी संख्या 2 रज्जाक नगर हिण्डौन मे निवास करती है। विकय पत्र मे दर्ज आराजीयात ग्राम कुतकपुर मे स्थित है। विकय पत्र किस स्थान पर कब किया गया विकय पत्र मे दर्ज नही होने से प्रभावशून्य है। आराजी मुतजिका न0 2 वादपत्र यानि तथाकथित नुमाईशी विकय पत्र मे दर्ज आराजी मे मौजूदा 1/10 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण एवं अन्य सहोदर भाईयो के बीच मौजूदा गवाहो की उपस्थिति मे दिनांक 1 जनवरी 2004 को मौके पर बाहमी वंटवारा करके उक्त आराजी मे से आराजी ख0न0 735 को वादीगण को सुपुर्द कर कब्जे मे दिया गया है। जिनके द्वारा उक्त आराजी को कब्जे मे लेकर आराजी मे आरा मशीन दो पुख्ता दुकाने निर्मित की है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का दिनांक 15.9.17 को उक्त आराजी पर कब्जा नही था। इस प्रकार उक्त विकय पत्र प्रभावशून्य है। विकय पत्र मे आराजी का प्रतिफल 251000 रूपया नकद भुगतान करना दर्ज किया है जबकि दिनांक 15.9.17 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त विकय के पेटे कोई प्रतिफल भुगतान नही किया गया है प्रतिवादी संख्या 2 की हैसियत एक मुश्त 251000/—रूपये भुगतान करने की नही रही है। बल्कि आपस मे हुए झगडे के कारण बिना प्रतिफल के ही उक्त विकय पत्र किया गया है। जिससे की वादीगण को उनके कब्जे काश्त से महरूम होना पडे। इस प्रकार प्रतिफल के किये गये विकय पत्र प्रतिफल अदायगी के अभाव मे प्रभावशून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त हस्तान्तरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति नही था। इस प्रकार भी उक्त विकय पत्र प्रभावशून्य है। वादीगण के सहोदर भाई सलीम व रहीस वादीगण से रंजिश रखते है वादीगण का पारिवारिक बंटवारा मे दिये गये हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2020.04.22 15:43:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

से महरूम करने के लिए वादीगण एवं उनके वालिद प्रतिवादी संख्या 1 से प्रतिवादी संख्या 2 के हक मे षडयंत्रपूर्वक गोपनीय रूप से उक्त तथाकथित विक्रय पत्र विधिवत रूप से पंजीकृत करवाया है जिसमे सहोदर भाई सलीम व रहीस स्वयं गवाह रहे है यानि उक्त विक्रय पत्र के जरिये विकित सम्पति या विकय प्रतिफल का कोई आदान प्रदान किसी प्रकार का नही हुआ है और विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सहोदर भाई सलीम वगै0 के प्रभाव व दबाब मे आकर विधि विरूद्व रूप से पंजीकृत करवाया है। इस कारण विक्रय पत्र प्रभावहीन व शून्य है। उक्त विक्रय पत्र के विरूद्व थाना हिण्डौन मे धारा 420,120 बी , 467 , 468 आई पी सी मे एफ आई आर संख्या 211/18 दर्ज किया गया है जो जैर अनुसंधान है। उक्त तथाकथित विक्रय पत्र की आड मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने हमराहियो के साथ भूमि ख0न0 735 पर आ गये तथा उक्त आराजीयात से कब्जा हटाने की धमकी दी गई तथा कहा कि यह जमीन प्रतिवादी संख्या 2 के नाम करा दी गई है तथा मारपीट करने पर आमादा हो गये। इस कारण वाद कारण होने से दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत घोषित किये जाने बयनामा प्रभावहीन,नल एवं बोईउ डिक्री किया जाकर इस अमर की घोषणा फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक मे किया गया बयनामा दिनांक 15.9.17 को प्रभावहीन नल एण्ड बोईड किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 735 मे से विक्रय पत्र की आड मे बेदखल नही करे ना ही अन्य किसी से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौन सिटी से वादीगण द्वारा चाही जाने पर माननीय न्यायालय मे प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व दफा 151 जा0दी0 पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होने के कारण प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व दफा 151 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र दिनांक 12.11.18 को वादीगण को मूल ही लौटाने के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौन के आदेश की पालना मे दिनांक 10.01.19 को अधिनस्थ न्यायालय मे मूल वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी पेश किया गया। जिस पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को जबाब पेश नही किये जाने पर जबाब बंद कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्याायलय का आदेश विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन के आदेश दिनांक 12.11.18 की अनदेखी कर सिविल न्यायालय के आदेश को ताक मे रखकर विधी विरूद्व आदेश पारित किया है। जबकि सिविल न्यायालय ने उक्त दावे को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को माना है सिविल कोट का आदेश राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी है। जिसे अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.6.19 मे दावा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का होना बताया है जबकि वादीगण/अपीलांट द्वारा पेश किया गया दावा घोषित किये जाने प्रभावहीन शून्य बयनामा दिनांक 15.9.17 बाबत पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना वाद पत्र को पढे उक्त आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। वादीगण/अपीलांट द्वारा उक्त दावा जो करीब 50 वर्षो पूर्व आपसी पारिवारिक बंटवारे मे वादीगण के हिस्से मे आई भूमि ख0न0 735 रकबा 23 ऐयर वाकेतन कुतकपुर बाबत पेश किया है जो वादीगण के कब्जे की भूमि है जिस पर वादीगण/अपीलांट ने आरा मशीन व दुकान बना रखी है तथा शेष पर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की उक्त आराजीयात को प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर यि जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नही रहा, इस बिन्दु को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने पैतृक भूमि मानकर दावा खारिज कर दिया। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। वादी/अपींलांट द्वारा पेश किये गये दावे के अभिकथनो से दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे नही आता तथा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का निर्णय करते वक्त कानूनन दावा के अभिकथनो को ही देखना होता है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने दावे के अभिकथनो से बाहर जाकर मनमाने तरीके से उक्त आदेश पारित किया है। वादीगण/अपीलाट के दावे मे सभी दर्ज तथ्यो को बाद तनकीयात व साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात ही तय किया जा सकता था तथा अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलांट द्वारा पेश नजीरो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हवाला नही दिया है ना ही डिसकस किया है। न्यायालय की नजीरो को ताक मे रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट दुबई मे नौकरी करते है। अपीलांट/वादीगण द्वारा दिनांक 23.12.19 को वकील से पुछने पर निर्णय की जानकारी हुई। कोबिड 19 के कारण आवागमन बंद होने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नही कर सका। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कोविड की परिस्थितियो को मद्वेनजर डिले कण्डोन फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.6.19 बाबत अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त कर वादीगण/अपीलांट का दावा बनवारी शरीफ खान बनाम रसीद मु0न0 28/19 दावा बाबत घोषित किये जाने प्रभावहीन शून्य बयनामा व स्थाई निषेधाज्ञा पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट/वादी द्वारा वर्णित आराजीयात पैतृक व पुश्तैनी भूमि ग्राम कुतकपुर मे स्थित है। जिसमे से प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 15.9.17 को प्रतिवादी संख्या 2 से 251000/—रूपये प्रतिफल प्राप्त कर अपने स्वामित्व की व खातेदारी का हिस्सा 1/10 का कब्जा सुपुर्द कर प्रतिवादी संख्या 2 के हक मे दिनांक 15.9.17 को विक्रय पत्र तहरीर कर उप पंजीयक हिण्डौन के यहाँ पर पंजीकृत कराया गया। जिसको शून्य व प्रभावहीन घोषित कराने हेतु वादी/अपीलांट द्वारा दावा पैत्रिक भूमि मानकर पेश किया गया था। जबकि मुस्लिम विधि के तहत कोई सम्पति पैत्रिक की धारणा नही है। जन्म के आधार पर मुस्लिम विधि मे पैत्रिक आराजी मे हिस्से की घोषणा के लिए वाद नही लाया जा सकता। पिता के जिवित होने पर उसके द्वारा सम्पति अन्तरण करने के कारण सम्पति भूमि पैत्रिक नही होने के कारण पुत्र/पुत्रियान एवं वारिसान कोई दावा लाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा मुस्लिम विधि के अनुसार वार्ड लॉ मे होने के कारण ही वादी/अपीलांट का वाद पत्र विधि के अनुसार ही खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार ही माननीय उच्च न्यायालयो की नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया जाकर सीपीसी के प्रावधानो के मद्देनजर एवं मुस्लिम विधि मे पुत्र/पुत्री के जन्म से कोई अधिकार उत्पन्न नही होने के कारण रेस्पो/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत विधिक रूप से वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौन के समक्ष वाद पत्र बाबत प्रभावशून्य घोषित करने बयनामा दिनांक 15.9.17 पेश किया गया था। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.11.18 मे स्पष्ट अंकित किया है कि विधि के सिद्वान्त के अनुसार कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज को शून्य कराने का अभिवाक यदि वाद पत्र मे किया गया है तो वह राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे आता है। राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मे भी वादी द्वारा उक्त बयनामा को प्रभावशून्य घोषित कराने की प्रार्थना की गई थी। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किये जाने के पर जबाब बंद कर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरो को दृष्टिगत मुस्लिम विधि के तहत कोई आराजी व सम्पति पैत्रिक नही होने से एवं पिता के जीवनकाल मे पुत्र/पुत्री /पत्नि को कोई वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही होने के कारण वाद पत्र वार्ड वाई लॉ होने के कारण [illegible] के अनुरूप ही खारिज किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के प्रकरण संख्या 26/19 मे पारित निर्णय दिनांक 27.6.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.1.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:40 IST
Reason: SelfAttested